नेशनल लोक अदालत, खंड पीठ कमांक 04 एवं अपर मोटर दुर्धटना दावा प्राधिकरण(एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0

दावा प्रकरण कमांक 01/18

संस्थित दिनांक 06.01.2018

01. **श्रीमती हेमलता नेताम पति स्व. जीवराखन लाल, जाति गोड़,**
उम्र लगभग 43 वर्ष,

02. **नारदराम नेताम पिता स्व. जीवराखन लाल, जाति गोड़,**
उम्र लगभग 24 वर्ष,

03. **कुमारी कौशिक नेताम पिता स्व. जीवराखनलाल, जाति गोड़,**
उम्र लगभग 22 वर्ष,

04. **कुमारी कौशिक नेताम स्व. जीवराखनलाल, जाति गोड़,**
उम्र लगभग 18 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम कानीडबरी, पोस्ट खरेंगा थाना अर्जुनी,
तहसील व जिला धमतरी, छ0ग0...**आवेदिकागण**

—बनाम—

01. **ईतवारी कुर्रे पिता रामग्वाल कुर्रे, जाति सतनामी,**
उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी जोधापुर थाना सिटी कोतवाली धमतरी,
तहसील व जिला धमतरी, छ0ग0

02. **दयाराम लहरे पिता जगतूराम लहरे जाति सतनामी,**
उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी बनिया तालाब पार महंत घासीदास
वार्ड धमतरी, थाना सिटी कोतवाली, तहसील व जिला धमतरी,
छ0ग0

03. **शाखा प्रबंधक,**
दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
एम.बी.ट्रेड सेंटर द्वितीय मंजिल गांधी चौक धमतरी,
पोस्ट धमतरी, तहसील व जिला धमतरी, छ0ग0...**अनावेदकगण**

आवेदकगण द्वारा श्री रमाकांत चन्द्राकर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा श्री एन0के0देवांगन अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा श्री कीर्तिशाह अधिवक्ता।

—अवार्ड—

(आज दिनांक 08/09/2018 को पारित)

आवेदिकागण ने अनावेदकगण के विरूद्ध यह दावा आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2017 को हुये मोटर दुर्घटना में मृतक रवि कुमार नेताम की मृत्यु से हुयी क्षति के संबंध में 14,33,800रू. (अक्षरी चौदह लाख तैंतीस हजार आठ सौ रूपये की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किये हैं।

पक्षकारो के बीच विवाद नेशनल लोक अदालत के अवधारण के लिये निर्दिष्ट किये गये हैं और पक्षकारों ने मामले पर समझौता कर लिया है तथा समझौता आवेदन पेश किया। समझौता के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है—

आवेदिकागण को राशि **6,50,000.00रू.(अक्षरी छः लाख पचास हजार रूपये)** अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी भुगतान करेगा। यदि अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के द्वारा 02 माह के भीतर उक्त अवार्ड की राशि अधिकरण में जमा नहीं करता है तो उक्त राशि पर अवार्ड तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा। उक्त क्षतिपूर्ति की राशि की मय ब्याज के जमा होने पर प्रकरण की स्थिति को देखते हुये आवेदिका क्रमांक 01 के नाम पर 1 लाख रूपये 05 वर्ष, आवेदिका 02 एवं

03 के नाम पर 1–1 लाख रूपये **01–01 वर्ष** के लिये एवं आवेदक कमांक 04 के नाम पर 1 लाख रूपये **02 वर्ष** की अवधि के लिये किसी भी राष्टीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना के अंतर्गत निवेश किया जावे। ब्याज की राशि वे मासिक/त्रैमासिक आहरित कर सकेंगे।

शेष राशि आवेदिकागण को समान अंशों में एकाउंटपेयी चैक के माध्यम से नकद भुगतान किया जावे। अंतरिम प्रतिकर की राशि यदि भुगतान की गई हो तो वह समायोजित की जावेगी। शेष दावा खारिज।

(छमेश्वर लाल पटेल)
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
खंड पीठ कमांक 04
धमतरी, छ0ग0

(धंनजय तिवारी)
सदस्य कमांक 01
नेशनल लोक अदालत
खंड पीठ कमांक 04
धमतरी, छ0ग0

(राजकुमार हिरवानी)
सदस्य कमांक 02
नेशनल लोक अदालत
खंड पीठ कमांक 04
धमतरी, छ0ग0

पक्षकारगण–

———————　　　　　　　　————————

आवेदकगण　　　　　　　　**अनावेदक कमांक 03**

——————　　　　　　　　————————————————

अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण　　　　　　　　**अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क. 03**